न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ–सह–
विशेष उत्पाद न्यायालय–प्रथम, लखीसराय।
बी0पी0 संख्या–2263/2022
लखीसराय (रामगढ चौक) थाना कांड सं0–771/2022

भरथहरी मांझी————————————————————————————आवेदक।

बनाम्

बिहार राज्य—————————————————————————————विपक्षी।

धारा–30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री पिंटू कुमार।

राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक– श्री कृष्णा चौधरी।

आदेश

17.11.2022– दिनांक 26.09.2022 से काराधीन अभियुक्त **भरथहरी मांझी** की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो **लखीसराय (रामगढ़ चौक) थाना कांड सं0–771/2022**, अंतर्गत धारा–30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है, को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान की गयी है।

इस कांड का सारांश इस प्रकार है कि सूचक पु0अ0नि0 जंगबहादुर राय हैं, जो घ टना के समय रामगढ़ चौक थाना में पदस्थापित थे। दिनांक–25.09.2022 को सूचनानुसार सूचक अपने सहयोगियों के साथ समय लगभग 21:20 बजे ग्राम पनघरा भरथहरी मांझी के घर के पास पहुंचे तो देखे कि घर के सीढ़ी के बगल से एक व्यक्ति भागने का प्रयास किया, जिसे बल के सहयाता से पकड़ा गया तथा नाम पूछने पर अपना नाम भरथहरी मांझी बताया। उसके बाद तलाशी नियमों का पालन करते हुये उसके घर की तलाशी ली गई तो सीढ़ी के नीचे से एक प्लास्टिक के पीला रंग के डब्बा में लगभग 17 लीटर देशी महुआ शराब की बरामदगी की गई।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक की ओर से पूर्व में श्रीमान् के न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक एक गरीब एवं नेक व्यक्ति हैं। आवेदक दिनांक–25.09.2022 से न्यायिक हिरासत में हैं। आवेदक पर प्रस्तुत वाद में राजनीति के कारण बिल्कुल, झूठा एवं वेबुनियाद आरोप लगाया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक इस नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन खारिज करने की कृपा की जाय।

उभय पक्षों का बहस सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन द्वारा कंडिका–28 दिनांक–05.10.2022 तक की वाद दैनिकी दाखिल की गई है, जिसके कंडिका–26 में यह उल्लिखित किया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध संबंधित थाना में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन के कंडिका–03 में भी यह उल्लिखित किया गया है कि इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत वाद में आवेदक अभियुक्त के घर से 17लीटर देशी महुआ शराब की बरामदगी की गई है,

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ–सह–
विशेष उत्पाद न्यायालय–प्रथम, लखीसराय।
बी0पी0 संख्या–2263 / 2022
लखीसराय (रामगढ़ चौक) थाना कांड सं0–771 / 2022

लगातार.....
17.11.2022

जिसकी जिक्र प्राथमिकी में है तथा इसका समर्थन वादी के पुनर्बयान कांड दैनिकी की कंडिका–04 एवं साक्षियों के बयानों कंडिका–05 एवं 06 में भी मुखरता से किया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक–26.09.2022 से न्यायिक हिरासत में हैं।

अतः उपरोक्त तथ्य, परिस्थिति, विवेचना, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास न होना, कारावधि एवं बरामद शराब की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक अभियुक्त **भरथहरी मांझी** का जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

तद्नुसार आवेदक अभियुक्त की ओर से मो. 10,000 रूपये का समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है। आवेदक अभियुक्त यह अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि वे इस प्रकृति के अपराध की पुर्नावृत्ति नहीं करेंगे और यदि वे उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत पुनः कोई अपराध करते पाये जाते हैं, तो उनका बंधपत्र खंडित किया जा सकेगा तथा **आवेदक अभियुक्त आरोप गठन तक सदेह उपस्थित रहेंगे।**

कार्यालय आदेश की एक प्रति संबंधित मूल अभिलेख में संलग्न करें एवं नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अ0 जि0 एवं सत्र न्या0, चतुर्थ
–सह–विशेष उत्पाद न्यायालय, प्रथम
लखीसराय।
दिनांक–17.11.2022